

बिहार सरकार  
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग  
सं०सं०-2/जी०लेखन सामग्री-90-01/2018-

138  
07.03.18

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मुख्य शीर्ष "2225"-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, मुख्य शीर्ष -01 अनुसूचित जातियों का कल्याण, लघु शीर्ष-277-शिक्षा-0011 -छात्रवृत्तियां और वृत्तियां विपत्र कोड- 44-2225012770011 के कुट संख्या -0011.3302 मुआवजा इकाई में वर्तमान में उपबन्धित राशि 10,00,00,000/- (दस करोड़ रु०) मात्र के बचत राशि से "2251"-सचिवालय सामाजिक सेवाएं-उप मुख्य शीर्ष -00, लघु शीर्ष-090-सचिवालय-0023 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के प्रसंग में विपत्र कोड- 44-2251000900023 अन्तर्गत 0011.5101 -मोटर गाड़ी इकाई में ₹ 36,91,000/- (छत्तीस लाख एकान्चे हजार रु०) मात्र के उपबन्धित राशि में से संभावित बचत की राशि से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कुट संख्या 0023.5101-मोटर गाड़ी इकाई में ₹38,25,000 (अड़तीस लाख पच्चीस हजार रु०) मात्र का पुनर्विनियोग कर उपबन्ध के स्वीकृति का प्रस्ताव ।

आदेश- स्वीकृत ।

2- बिहार वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 489 योजना अन्तर्गत संलग्न अनुसूची के अनुसार "2251"-सचिवालय सामाजिक सेवाएं-उप मुख्य शीर्ष -00, लघु शीर्ष-090-सचिवालय-0023 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के प्रसंग में विपत्र कोड- 44-2251000900023 अन्तर्गत 0011.5101-मोटर गाड़ी इकाई में ₹38,25,000 (अड़तीस लाख पच्चीस हजार रु०) मात्र का पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त उपबन्ध राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

3-प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है ।

4- प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

5- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग होंगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रेम सिंह मीणा)

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-2जी०/लेखन सामग्री-90-01/2018- 138 पटना,दिनांक- 07.03.18  
प्रतिलिपि:- अनुसूची के तीन प्रतियों के साथ वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-2जी०/लेखन सामग्री-90-01/2018- 138 पटना,दिनांक- 07.03.18  
प्रतिलिपि:- अनुसूची के प्रतियों के साथ कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, बिहार, पटना/अवर सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार,पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, बजट शाखा (8डी०)/सांख्यिकी कोषांग अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत आवासीय विद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

अतिरिक्त/अनुदान

के लिए आवेदन-पत्र।

पुनर्विनियोग

ज्ञाप सं० बिहार वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 489 योजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष "2251"-सचिवालय सामाजिक सेवाएं-उप मुख्य शीर्ष -00, लघु शीर्ष-090-सचिवालय-0023 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के प्रसंग में विपत्र कोड- 44-2251000900023 अन्तर्गत 5101-मोटर गाड़ी इकाई में ₹38,25,000(अड़तीस लाख पच्चीस हजार रू०) मात्र का अतिरिक्त उपबन्ध हेतु

के क्रम में

स्वीकृति के लिए

को उपस्थापित।

अतिरिक्त/अनुदान

की आवश्यकता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण नीचे लिखित।

प्रस्तावित पुनर्विनियोग

व्ययन

पदाधिकारी का पदनाम-अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग।

अतिरिक्त/अनुदान

की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण तथा प्रत्याशित बचत के संबंध में स्पष्टीकरण पुनर्विनियोग यदि कुछ हो- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्य शीर्ष ज्ञाप सं० बिहार वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 489 योजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष "2225"-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, मुख्य शीर्ष -01 अनुसूचित जातियों का कल्याण, लघु शीर्ष-277-शिक्षा-0011 -छात्रवृत्तियां और वृत्तियां के प्रसंग में विपत्र कोड- 44-2225012770011 के अन्तर्गत कुट संख्या -0011.3302 मुआवजा इकाई में ₹10,00,00,000/- (दस करोड़ रू०) मात्र के उपबंधित राशि में संभावित बचत राशि से मुख्य शीर्ष "2251"-सचिवालय सामाजिक सेवाएं-उप मुख्य शीर्ष -00, लघु शीर्ष-090-सचिवालय-0023 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के प्रसंग में विपत्र कोड- 44-2251000900023 अन्तर्गत 0011.5101-मोटर गाड़ी इकाई में ₹38,25,000(अड़तीस लाख पच्चीस हजार रू०) मात्र का अतिरिक्त का पुनर्विनियोग कर उपबन्ध प्रस्तावित हैं।

*[Handwritten Signature]*  
27.2.18

सरकार के सचिव,  
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति  
कल्याण विभाग।

सचिव

स्तम्भ 2 और 3 तथा स्तम्भ 8 और 9 में यदि कोई अन्तर हो तो उसका स्पष्टीकरण। अनु० जाति एवं अनु० जन जाति कल्याण विभाग, मोटर गाड़ी, पं०

53-प्रपत्र सं०-212

अनुदान  
अनुदान / विनियोग

सं०-2जी/लेखन सामग्री-90-01/18

बृहत शीर्षक:- 2251-सचिवालय सामाजिक सेवाएँ-00-090-सचिवालय, 0023 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग (विपत्र कोड-44-22510009000023)  
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा, 0011-छात्रवृत्तियाँ और वृत्तियाँ(विपत्र कोड-44-2225012770011)

मांग संख्या- 44

शीर्षक जिसके अधीन अतिरिक्त अनुदान अपेक्षित है।(44-22510009000023)							शीर्षक जिससे विनियोग प्रस्तावित है।(44-2225012770011)				
विनियोग की प्राथमिक इकाइयाँ।	मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)।	वर्तमान अनुदान।	तात्कालिक प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित खर्च।	अपेक्षित अतिरिक्त अनुदान।	कुल अनुदान जो जोड़ने के बाद रहेगा।	विनियोग की प्राथमिक इकाइयाँ।	मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)।	वर्तमान अनुदान।	तात्कालिक लिए गए प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित खर्च।	प्रत्यक्ष राशि।	कुल अनुदान जो घटाने के बाद रहेगा।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0023.5101 मोटर गाड़ी- कार्यालय	₹0 1000	₹0 1000	₹0 3826000	₹0 3825000	₹0 3826000	0011.3302- मुआवजा	₹0 100000000	₹0 100000000	₹0 96175000 कुल:-	₹0 3825000 (अड़तीस लाख पच्चीस हजार)	₹0 96175000
टिप्पणी- (क) स्तम्भ 1 और 7 में ऐसे लघु और उप-शीर्षक दिखाये जायें, जिनसे इकाई संबंधित हो। (ख) स्तम्भ 3 या 9 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मूल अनुदान और पूरक या अतिरिक्त अनुदान की राशि सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार इकाइयों पुनर्विनियोजित रकम को घटाकर, दिखाई जाय। (ग) स्तम्भ 6 से 3 और 5 का जोड़ दिखाया जाए। (घ) स्तम्भ 12 में स्तम्भ 9 और 11 के आंकड़ों का अन्तर दिखाया जाय। (ङ) अतिरिक्त अनुदान (स्तम्भ 5) की अत्यावश्यकता या आवश्यकता और पुनर्विनियोग (स्तम्भ 11) संबंधी प्रस्ताव का पूरा-पूरा पीठ पीठ पर दिया जाय।							<p style="text-align: center;"><b>बनु० जाति एवं बनु० जन जाति</b> कल्याण वम 12/12/18</p>				